कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, बदायूँ।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंसिफि प्रांगण सहसवान में (बदायूँ) सूखे हुए दो पेड़ (एक पेड़ जामुन व एक पेड़ आम) की नीलामी दिनांक 4/07/19 को सायं 4 बजकर 30 मिनट से 5 बजे के मध्य केन्द्रीय सभागार जनपद न्यायालय, बदायूँ में की जायेगी। इस संबंध में जो भी व्यक्ति अथवा फर्म इस नीलामी में भाग लेना चाहता है तो उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आकर नीलामी की बोली लगा सकते हैं। नीलामी को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार केवल माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को ही होगा। इस सम्बंध में अधिक जानकारी करना चाहे तो किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, बदायूँ से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की शर्तें निम्नवत है –

1- नीलामी बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पहले अंकन 1000.00 रूपये केन्द्रीय नजारत में जमा करना होगा तभी उसे बोली बोलने का अधिकार होगा।

2- नीलामी कि विषय वस्तु (दोनों पेड़) जहाँ भी जैसे है की स्थिति में नीलाम किये जाएगें जिनका अवलोकन बोलीकर्ता बोली से पूर्व किसी भी दिन बाह्य न्यायालय, सहसवान पर जाकर कर सकता है।

3- बोली समाप्त होने पर सबसे अधिक बोलीकर्ता व्यक्ति को बोली का ½ धन तुरंत जमा करना होगा।

4- उक्त उल्लेखित वृक्षों की नीलामी बोली प्रभागीय निदेशक, सामाजिक व वनिकी प्रभाग का अंकित मूल्य अंकन 3650 व 9750 क्रमशः जामुन व आम के लिये प्रारम्भ होगी।

5- यदि बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ द्वारा स्वीकृत होती है तो बोली का शेष धन स्वीकृत होने पर तुरंत जमा करनी होगी ऐसा न करने पर बोली निरस्त की जा सकती है। सम्पूर्ण धनराशि जमा होने पर ही लकड़ी उठाने का अधिकारी होगा।

6- खरीदी हुयी लकड़ी के परिवहन अथवा अनुमति सम्बंधित अथवा परमिट आदि की समस्त औपचारिकताओं का दायित्व खरीददार का होगा।

7- बोली स्वीकृत होने पर बोली का देय आयकर (यदि कोई हो) जमा करना होगा।

दिनांक-

Bhanudev 10/06/19

(भानूदेव शर्मा)
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।

प्रतिलिपिःसहायक नाजिर को निम्नलिखित नोटिस बोर्डों पर चस्पा करने हेतु प्रेषित-

1- जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।
2- जिलाधिकारी, बदायूँ।
3- प्रभागीय निदेशक, समाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ।
4- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बदायूँ।
5- केन्द्रीय कारागार, बदायूँ।
6- तहसीलदार सदर, बदायूँ।
7- नगर पालिका परिषद, बदायूँ।
8- रेलवे स्टेशन, बदायूँ।
9- रोडवेज, बदायूँ।
10- जिला अस्पताल, बदायूँ।
11- कम्प्यूटर अनुभाग, को इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
12- दो स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

दिनांक-

Bhanudev 10/06/19

(भानूदेव शर्मा)
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।